

116

माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश, जिला ग्वालियर

प्रकरण क्र.

/निगरानी-6094/2018/ग्वालियर/शू.२५

निगरानीकर्ता/मध्यक्षेपकर्ता -

राजीव अग्रवाल, पुत्र श्री आर.बी.

अग्रवाल, निवासी सुमन भवन,

गौघाट, इन्दरगंज, लक्ष्कर ग्वालियर,

जिला ग्वालियर (म.प्र.) मोब.

६४२५३६०५२०

वनाम्

मैसर्स राजकमल बिल्डर्स,

पार्टनरशिप फर्म द्वारा पार्टनर

कमल शर्मा, पुत्र श्री रमेश शर्मा,

(२) पार्टनर भरत शर्मा, पुत्र कमल

शर्मा,

दोनों निवासीगण विकास नगर,

रतन ज्योति नेत्रालय के पीछे किला

रोड, ग्वालियर, जिला ग्वालियर

(म.प्र.)

प्रतिनिगरानीकर्ता/प्रतिअपीलार्थी -

(३) संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम

निवेश, ग्वालियर, जिला ग्वालियर

(म.प्र.)

प्रतिनिगरानीकर्ता -

(४) श्रीमान् आयुक्त महोदय, ग्वालियर

संभाग जिला ग्वालियर (म.प्र.)

निगरानी अंतर्गत धारा ५० मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता १९५६



विरोध आयुक्त संभाग ग्वालियर जिला ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्र.

४८५/अपील/२०१७-२०१८ में पारित आदेश दिनांक ११.०६.

२०१८ जिसके द्वारा निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति नजरअंदाज

कर प्रतिनिगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर संयुक्त

दिनांक 10-10-18 का
श्री मनीष शर्मा का
द्वारा प्रस्तुत /
कसे
10-10-18 पं० 30-10-18
50



प्रदान

किंक

तथ्य

त ग्राम

६७ के

भिलेखित

त मिसिल



श

श

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 6094/2018/ग्वालियर/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30-10-2018	<p>आवेदक की ओर से श्री मनीष शर्मा, अभिभाषक एवं अनावेदक शासन की ओर से श्री अजय चतर्वेदी, शासकीय अभिभाषक उपस्थित । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के तहत आदेश पारित किया गया है, जिसके सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है । अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु आवेदक को वापिस किया जाता है ।</p> <p> सी३२</p>	<p> अध्यक्ष</p>